संख्या-4/2022/619/96-आयुष-1-2022-227/2020

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 04 मार्च, 2022**

विषय- वित्तीय वर्ष-2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर को धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/बी0-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 एवं निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या- 141/332टी0सी0/योजना/2021-22, दिनांक 22 फरवरी, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2021-22 के लिए अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग आयुर्वेद हेतु आय-व्ययक के राजस्व tपक्ष में लेखा शीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-101-आयुर्वेद-06-अन्य व्यय- 0603-आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 226.00 लाख के सापेक्ष रू0 56.50 लाख (रूपये छप्पन लाख पचास हजार मात्र) तथा 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 126.00 लाख के सापेक्ष रू0 31.50 लाख (रूपये इकतीस लाख पचास हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवे प्रतिबन्धों के अधीन कुलपति, महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व कुलपति, महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखरपुर का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश कुलपति द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
3- धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जाएगा। आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जाएगा। आहरित धनराशि किसी बैंक/डाक घर आदि में नहीं रखी जायेगी। जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
4- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी कार्य मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
5- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- संबंधित अनुदान के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16194 दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-33 के लेखा शीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-101-आयुर्वेद-06-अन्य व्यय- 0603-आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) तथा 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-4/2022/619(1)/96-आयुष-1-22, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, गोरखपुर (द्वारा वित्त नियंत्रक महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर)।
(4) संबंधित मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर (द्वारा वित्त नियंत्रक महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर)।
(5) निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
(8) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) समस्त संबंधित अधिकारी (द्वारा वित्त नियंत्रक महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर)।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से
शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in